न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:– 28/दावा/2014

1. पप्पूलाल आ0 घासीलाल जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0।
2. दुर्गालाल आ0 घासीलाल आयु वयस्क जाति बैरवा निवासी ग्राम हरणा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 26/10/2020

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 38 बीघा, खसरा संख्या 17 रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि के खातों में दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 5 गत खसरा नम्बर 2 मि0 से व खसरा संख्या 17 गत खसरा नम्बर 4 मि0 से बना है। आंवटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.03.1961 को वादीगण के पिता घांसी के भाई रूघा उर्फ रघुनाथ पिता माधों बैरवा के नाम ग्राम हरणा की खसरा संख्या 3 व 4 में से 15 बीघा भूमि आंवटित की थी और आवंटन के समय वादीगण के बडे पिता रूघा जी को खसरा संख्या 3 में से 1 बीघा भूमि पर व खसरा संख्या 4 में से 14 बीघा भूमि पर कुल 15 बीघा भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया था। खसरा संख्या 3 व 4 पुराने नम्बर थें जिनके नये नम्बर खसरा संख्या 5 व 17 बने है। इस प्रकार खसरा सख्या 5 में से 1 बीघा पर व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा पर तत्समय कब्जा संम्भलाया गया था। इस प्रकार कुल 15 बीघा भूमि पर कब्जा दिया गया था। आंवटन के बाद से खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा पर व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा देने से निरन्तर काबिज रहे। आंवटी रूघा

अपनी आंवटित भूमि के चारों तरफ खाई लगाकर खाई पर बंबूल के पड व ादार पेड लगाये थे व भूमि के ठूंठ निकाल कर भूमि को लेविल करवाकर बड–खाबड से समतल करवाकर काबिल काश्त बनाया और ताजिन्दगी उक्त भूमि पर काश्त की। आंवटन के बाद राजस्व रिकोर्ड में अमल करने का काम राजस्व कर्मचारियों का है। वादीगण के दादा रूघा जी (बडे पिता) निरक्षर थे जो केवल अगूंठा लगाते थे। इस कारण उन्होने उक्त भूमि के कागजात वगेरा नही देखे और आंवटन के समय दिये गये कब्जे के स्थान पर काश्त करते रहे। इस प्रकार वादीगण के बडे पिता रूघा जी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा कुल 15 बीघा पर निरन्तर निर्बाध रूप से बेरोकटोक शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण के पिता रूघा जी वादग्रस्त भूमि के खातेदार बन चुके है। वादीगण के बडे पिता रूघा जी के कोई संतान नही थी और पत्नी का देहान्त रूघा जी के जीवनकाल में ही हो चुका था। मृतक रूघा जी के छोटे भाई घांसी के वादीगण पुत्र होने से वादीगण ने ही रूघा जी की सेवाबंदगी की, उनकी हारी–बिमारी में इलाज करवाया व उनकी इच्छा अनुरूप भोजन करवाया व पूर्ण रूप से उनकी देखभाल की और उनके मरने के उपरान्त वादीगण ने ही सामाजिक रस्म रीति–रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार व सम्पूर्ण कियाकर्म किया। इस प्रकार वादीगण ही उनके एक मात्र वारिस है। वादीगण के बडे पिता रूघा जी ने वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में से उनको आंवटित भूमि को व उनकी चल व अचल सम्पति को दिनांक 17.08.1998 को वादीगण के पक्ष में वसीयत कर वसीयत का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली में करवा दिया था। इस प्रकार पंजीकृत वसीयत से भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार बन चुके है। वादग्रस्त भूमि अनकमाण्ड व असिंचित भूमि है तथा बंजड है जो किमतन आंवटन नही की गई थी। वादीगण वादग्रस्त भूमि को अपने बडे पिता रूघा जी की दिनांक 22.08.1998 को मृत्यु हो जाने अब उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि पर आंवटन दिनांक 26.03.1961 से रूघा जी निरन्तर काबिज काश्त चले आने से उक्त भूमि के खातेदार बन चुके थे ओर उनके द्वारा उक्त भूमि वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर देने व रूघा जी मृत्यु के बाद से वादीगण काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा वाके ग्राम हरणा पर खातेदार बन चुके है। वादीगण के बडे पिता रूघा जी की मृत्यु के बाद वादीगण पटवारी के पास वादग्रस्त भूमि का लगान जमा कराने गये तो पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भूमि रूघा जी के नाम दर्ज नही होने व भूमि सिवायचक होने बाबत बताया तब वादीगण ने तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आंवटन आदेश का रिकोर्ड में अमल करने व भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया, लेकिन तहसीलदार हिण्डोली ने आंवटन आदेश पुराना होने का बहाना बनाकर अमल करने से इंकार कर दिया ओर धमकी दी कि सक्षम न्यायालय से उक्त भूमि को एक माह में अपने नाम दर्ज करवा लो नही तो

भूमि पर से बेदखल करूगां ओर भूमि को कब्जे राज लूंगा। उक्त धमकी दिनांक 25.2013 को देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा भूमि व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा भूमि वाके ग्राम हरणा पर खातेदार घोषित करवावे एवं राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के स्थान वादीगण का नाम दर्ज करवावे तथा वादग्रस्त भूमि पर से वादीगण को बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावें। वाद में राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाया गया है जिनको 2 माह नोटिस वाद दायरी से पूर्व दिया जाना आवश्यक था, लेकिन प्रतिवादी ने 1 माह में भूमि पर से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा होने से वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है ओर वाद आवश्यक प्रकृति का होने से राज्य सरकार को निर्धारित अवधि नोटिस दिये बिना अनुमति के प्रार्थना पत्र 80(2) जा0दी0 के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद का विचारण किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि ग्राम हरणा पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य व निर्धारित न्याय शुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिकी प्रदान की जावे – कृषि भूमि खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा कुल 15 बीघा भूमि वाके ग्राम हरणा पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकोर्ड में से उक्त रकबे पर से सिवायचक के अंकन को विलोपित किया जावें व राजस्व रिकोर्ड में खातेदार के कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल नही करने व कब्जे काश्त में दखल नही करने हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादीगण को उपलब्ध हो, प्रदान की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र के चरण संख्या 1 में सिवायचक दर्ज स्वीकार है उक्त खसरा नम्बर झाड झनकार वाले वन चरा. के लिये गे0मु0 बरडा दर्ज है। वाद पत्र के चरण संख्या 2 स्वीकार है। वाद पत्र के चरण संख्या 3 व 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र के चरण संख्या 5 कानूनी है। वाद पत्र के चरण संख्या 6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र के चरण संख्या 7 अस्वीकार है वसीयत में उक्त भूमि का उल्लेख नही है सरकारी भूमि की वसीयत नही कर सकते। वाद पत्र के चरण संख्या 8 अस्वीकार है भूमि बंजड नही है शेष कानूनी है। वाद पत्र के चरण संख्या 9 अस्वीकार है भूमि (गे0मु0 बरडा) झाड झनकार वाली है जिस पर खातेदारी देय नही है। वाद पत्र के चरण संख्या 10 अस्वीकार है। वाद पत्र के चरण संख्या 11 अस्वीकार है सिवायचक गे0मु0बरडा पर खातेदारी देय नही है ओर

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। वाद पत्र के चरण संख्या 12 वाद की नोटिस नही दिया गया है प्रकरण अस्वीकार योग्य है। वाद पत्र की चरण संख्या 13 व 14 कानूनी है। पत्रावली में उपलब्ध 26.03.1961 की फोटोप्रति में आंवटन होना कही भी वर्णित नही है। काश्त की स्वीकृति अंकित है। साबिक खसरा संख्या 3 में से व 4 में से कितनी–कितनी भूमि काश्त के लिये दी गई का विवरण नही है। कब्जा सिपुर्दगी भी शामिल पत्रावली नही है। वर्तमान में वाद में वर्णित भूमि झाड झनकार वाले वन (चारागाह हेतु) व किस्म गे0मु0 बरडा दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। वाद निरस्त करने की कृपा करें।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र PW 1 घासीलाल दरोगा, PW 2 देवीलाल बेरवा, PW 3 पप्पूलाल बैरवा पेश किये है। फोटोप्रति रजिस्टर्ड वसीयत नामा, फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति आंवटन आदेश, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत की है।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम हरणा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 5 रकबा 38 बीघा, खसरा संख्या 17 रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम हरणा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि के खातों में दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 5 गत खसरा नम्बर 2 मि0 से व खसरा संख्या 17 गत खसरा नम्बर 4 मि0 से बना है। आंवटन सलाहकार समिति ने दिनांक 26.03.1961 को वादीगण के पिता घांसी के भाई रूघा उर्फ रघुनाथ पिता माधों बैरवा के नाम ग्राम हरणा की खसरा संख्या 3 व 4 में से 15 बीघा भूमि आंवटित की थी और आवंटन के समय वादीगण के बडे पिता रूघा जी को खसरा संख्या 3 में से 1 बीघा भूमि पर व खसरा संख्या 4 में से 14 बीघा भूमि पर कुल 15 बीघा भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया था। खसरा संख्या 3 व 4 पुराने नम्बर थें जिनके नये नम्बर खसरा संख्या 5 व 17 बने है। इस प्रकार खसरा सख्या 5 में से 1 बीघा पर व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा पर तत्समय कब्जा संम्भलाया गया था। इस प्रकार कुल 15 बीघा भूमि पर कब्जा दिया गया था। आंवटन के बाद से खसरा संख्या 5 में से 1 बीघा पर व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा देने से निरन्तर काबिज रहे। वादीगण के बडे पिता रूघा ने उनकी चल व अचल सम्पति को दिनांक 17.08.1998 में वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है जब से प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 5 में से 1 व खसरा संख्या 17 में से 14 बीघा कुल 15 बीघा भूमि वाके ग्राम हरणा पटवार मण्डल रोशन्दा में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादी को स्थाई निषेंधाज्ञा से पांबद किया जावें कि वे उक्त भूमि पर से वादी को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में कोई दखल नही करें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के विवादित भूमि खसरा नम्बर 5 व खसरा

17 गैर मु0 बरडा सिवायचक भूमि दर्ज है जिस पर एन0जी0ओ0 संस्था द्वारा खाई तार फेसिंग कर पौधारोपण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 21.03.1961 की फोटोप्रति में आंवटन होना कही भी अंकित नही है केवल काश्त की स्वीकृति अंकित है साथ ही कब्जा देने की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। वर्तमान में भूमि झार–झनकार वाले वन (चारागाह हेतु) व किस्म गै0मु0बरडा सिवायचक दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि द्वारा वर्जित है साथ ही वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में भी असफल रहा है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वाद वादी विधि विरूद्व होने/पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली